



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 22.04.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 204/25 धारा 137(2)/352/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत द्वारा थाने के मु0अ0सं0 204/25 धारा 137(2)/352/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उक्त अभियोग से सम्बन्धित पीड़िता/अपहर्ता को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 20.04.2025 को बरामद किया जा चुका है तथा पीड़िता के बयानों/साक्ष्य संकलन व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र स्व0 धर्मपाल निवासी हरिजन मौहल्ला कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत ।
- 3- म0उ0नि0 सीमा सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 4- का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत ।
- 5- का0 379 अखिलेश शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक- 22.04.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो होंडा स्प्लेण्डर नं0 UP-17B-6857 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर नं0 UP-17B-6857 बरामद हुई है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कुलदीप पुत्र जगवीर निवासी ग्राम धनौरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- हीरो होण्डा स्प्लेण्डर नं० UP-17B-6857

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है०का० 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- का० 550 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 22.04.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 106/25 धारा 70(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत



थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 106/25 धारा 70(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सौरभ तोमर पुत्र अलबेल सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर पुड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



- प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 22.04.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से गुरुग्राम हरियाणा से चोरी की गई एक मो०सा० स्प्लेन्डर नं० HR-11J-7853 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से गुरुग्राम हरियाणा से चोरी की गई एक मो०सा० स्प्लेन्डर नं० HR-11J-7853 बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 148/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आर्यन पुत्र ज्ञानेन्द्र निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 148/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 47/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेडकी डौला गुरुग्राम हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-है0का0 613 नवीन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में दुष्कर्म करने के आरोपी सन्तराम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त सन्तराम पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम आरिफपुर खेड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 102/2019 धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 22.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-05 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सन्तराम को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त सन्तराम को उक्त अभियोग की धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में दोष मुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनाँक -22.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी स्थान- कासिमपुर खेडी रेलवे स्टेशन के पास से थाना रमाला ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अख्तर पुत्र स्व0 नूरा निवासी ग्राम इब्राहिमपुर माजरा थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-का0 1076 विकास यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 1084 विकास यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 22.04.2025

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

सुशील कुमार जांगडा पुत्र स्व० श्री घासीराम निवासी किशनपुरा कॉलोनी पानीपत स्कूल हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री महेन्द्र गौतम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- उ०नि० आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- है०का० 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- है०का० 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5- का० 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।